न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 17/13 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2013/00117

उनवान

1. पूरना पुत्र श्री मूला
2. लीलावती पत्नी मनोहरलाल

} जाति माली निवासी नगला डिप्टी मजरा पहरसर तहसील नदबई

.....अपीलांट।

बनाम

1. प्यारे पुत्र श्री घूडा
2. हरभजन
3. भजनलाल
4. हीरालाल
5. भूप सिंह (मृतक)

} पुत्रान सूखा

5/1. गुड्डी उम्र 35 साल पत्नी भूप सिंह
5/2. अरविन्द उम्र 8 वर्ष
5/3. चन्द्रभान उम्र 2 वर्ष
5/4. राजकुमारी उम्र 4 वर्ष

} अल्पवयस्क द्वारा मॉ गुड्डी

6. धर्मपाल पुत्र सूखा
7. मंगलिया पत्नी सूख
8. छोटेलाल पुत्र श्री मोहन
9. पूना वेवा पूरन
10. नारायन सिंह
11. होती
12. प्रेम सिंह

} पुत्रान पूरन

13. ललता पुत्री पूरन
14. बुद्धी वेवा बुद्धा
15. निरंजन पुत्र बुद्धा
16. कमला पत्नी हुक्म
17. गुलकन्दी वेवा भगवत
18. मान सिंह
19. महीलाल
20. सीताराम

} पुत्रीयान भगवत

21. कमला पुत्री भगवत
22. फूलवती पुत्री भगवत
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

} जाति माली निवासी नगला डिप्टी मजरा पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

24. सब रजिस्ट्रार नदबई
25. राज0 ग्रामीण बैंक शाखा डहरा।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 25.02.13/27.02.2013 मि.नं. 586/08 उनवानी प्यारे बनाम भजनलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पुरूषोत्तम मुदगल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–23.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 25.02.13 व डिक्री दिनांक 27.02.13 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर में वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं तथा मौके पर काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का मनवट हिस्सा हो रहा है। परन्तु विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादीगण विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करा पाने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चत् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय में विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया गया। खसरा नम्बर 2031 पर हरि व पूरना का 1/2–1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है व खसरा नम्बर 2041 पर प्रेम सिंह का कब्जा है। परन्तु दोनों खसरा नम्बर अपीलाण्ट के कुर्रे में दे दिये। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2042 पर भजनलाल आदि का व खसरा नम्बर 2069 पर भजनलाल 1/2 हिस्से पर व 1/2 हिस्से पर प्यारे का कब्जा है जबकि उक्त खसरा नम्बर को कुरा संख्या 5 व 6 में गलत रखा है। नियमानुसार कब्जे के आधार पर विभाजन प्रस्ताव करने चाहिये थें। खसरा नम्बर 1950 के 1/5 हिस्से को अपीलाण्ट संख्या 2 ने अपीलाण्ट संख्या 01 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2012 को क्रय किया है व काबिज हैं। परन्तु उक्त सम्पूर्ण खसरा को रैस्पों0 प्यारे के खाते में दे दिया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारो को मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गयी। खसरा नम्बर 2006 व 1956 के भी टुकडे विधि विरूद्ध किये गये हैं। खसरा नम्बर 1955 का कोई विभाजन ही नहीं किया। लीलावती विवादित आराजी में सहखातेदार बन चुकी है। अतः उसे बॅटवारे का अधिकार है। विक्रय पत्र निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही क्यों नहीं की गयी। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2022(1) पेज 459, 438 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान की सहमति से पारित हुआ है एवं विभाजन प्रस्ताव भी पक्षकारान की सहमति से तैयार किये गये हैं। सभी पक्षकारान की सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। तहसीलदार स्वयं मौके पर पहुॅचें, हस्ताक्षर अंकित हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के दिन अपीलाण्ट संख्या 02 लीलावती का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अपीलाण्ट संख्या 01 पूरना ने अपीलाण्ट संख्या 02 लीलावती को खसरा नम्बर 1950 का 0.05 है0 बदनियति पूर्वक दिनांक 31.12.2012 को विक्रय कर दिया जो दौराने दावा हुआ। दौराने दावा विवादित भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। अतः लीलावती को किया गया वयनामा अवैध है। यदि कुर्रा गलत था, तो विक्रय क्यों किया। सीधे अपील में आते। रैस्पो0 की 0.86 है0 भूमि की जगह 0.81 है0 रह गयी जबकि अपीलाण्ट की 0.61 से 0.71 भूमि हो गयी। अतः विक्रय पत्र निरस्त होना चाहिये। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1989 पेज 224 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त विभाजन प्रस्तावो के अधीनस्थ न्यायालय में भेजने हेतु भी नायब तहसीलदार के ही, तहसीलदार की मौहर पर हस्ताक्षर अंकित हैं। जिससे प्रथम दृष्टया यह आभास होता है कि तत्समय तहसीलदार का पद रिक्त था। इसके अलावा अपीलाण्ट संख्या 01 ने दौराने वाद विवादित आराजी का विक्रय अपीलाण्ट संख्या 02 को किया गया है। यह सही है कि बाद विक्रय अपीलाण्ट संख्या 02 विवादित आराजी में सहखातेदार हो गयी एवं उन्हें भी विवादित आराजी का बॅटवारा कराने का कानूनन हक है। परन्तु उन्होंनें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बनने की चाराजोही क्यों नहीं की गयी। विवादित आराजी का कुछ अंश बेचान के बाद हिस्सा कम होना स्वभाविक है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम विभाजन प्रस्तावो को किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-02-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर